ज़कात

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह

इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त ज़कात का है जिसका उल्लेख कुरआन में बहुदा सलात (पूजा, नमाज़) के साथ-साथ किया गया है। सलात उन तमाम इबादतों (भक्ति का प्रदर्शन) में प्रथम है जो इंद्रियों और हाथ-पैर से सम्बन्धित हैं और ज़कात उनमें से जो धन-दौलत से सम्बन्धित है।

ज़कात का अर्थ

इस के शब्दार्थ दो हैं (1) पवित्रता और (2) अधिकता। इस्लामी शरीअत (शास्त्र) में ज़कात एक धन का विशेष परिणाम है जो मालिक को कुछ विशेष शर्तों और दशाओं में अलग करके ऐसे व्यक्तियों तक पहुँचाना होता है जो उसके लेने योग्य हैं। इसके निकालने से वह धन पवित्र और साफ़ हो जाता है और उसी कारण अल्लाह उसको और अधिक बढ़ाता है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति

इस्लामी क़ानून में ज़कात का होना इस बात का सुबूत है कि इस्लाम व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार स्वीकार करता है और इससे यह भी मालूम होता है कि इस्लाम में सज्जनता और पवित्र जीवन का यह अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति पैसे और धन को हाथ न लगाए वरन यह है कि उन कर्तव्यों का पालन करता रहे जो पैसा जमा होने की दशा में उस पर लागू हो और उन कर्तव्यों में सब से प्रथम ज़कात है।

ज़कात किन चीज़ों पर है

ज़कात तीन प्रकार के धन पर लगती है (1)नक़दी (2) जानवर (3) ग़ल्ला

नक़दीः- नक़द रुपये में उस समय ज़कात होती है जब वह सोने और चाँदी के सिक्कों के रूप में और एक वर्ष तक अर्थात ग्यारह महीने पूरे होकर बारहवें महीने के आरम्भ तक बिना किसी परिवर्तन के रक्खा रहे।

सोने की अशर्फ़ियों (मोहरों) का कम से कम वज़न पाँच तोला साढ़े सात माशा है। जब इतने वज़न की अशर्फ़ियाँ हों और साल भर रक्खी रहें तो उसका चालीसवाँ हिस्सा देना होगा। फिर अगर इतनी अशर्फ़ियों से एक तोला डेढ़ माशा और अधिक हो तो उसका भी चालीसवाँ हिस्सा देना होगा। इसी प्रकार हर एक तोला डेढ़ माशे पर। हाँ अगर आख़िरी भाग एक तोले डेढ़ माशे से कम हो तो उस पर ज़कात न होगी।

चाँदी के सिक्के में कम से कम 41 रुपया ढाई माशा (1 रुपया साढ़े ग्यारह माशे का) होने पर ज़कात लगेगी। इस में चालीसवाँ हिस्सा देना होगा। फिर जब इतने से आठ रुपये ढाई माशे और अधिक हों तो उसमें भी चालीसवाँ हिस्सा देना होगा। इसी हिसाब से जितने भी रुपये अधिक हों सबके ऊपर उसी हिसाब से ज़कात होगी। हाँ आख़िर में आठ रुपया ढाई माशे से कम बाक़ी बचने वाले रुपयों पर ज़कात न होगी।

जानवर

तीन प्रकार के जानवरों में ज़कात वाजिब है। (1) ऊँट (2) गाय बैल (3) भेड़ बकरियाँ इन तीनों में यह शर्त है कि उस व्यक्ति की मिल्कियत में उन पर एक वर्ष बीत जाए और सारा साल घर में रख कर उनको न

खिलाया गया हो बल्कि चराई पर चरे हों और लदाई-ढुलाई या ऐसे ही किसी अन्य कार्य में इस्तेमाल न होते हों।

ऊँटों में पाँच ऊँटों से कम पर ज़कात नहीं है। जब पाँच ऊँट हों तो एक बकरी देना होगा। जब दस ऊँट हों तो 2 बकरियाँ और इसी प्रकार 25 ऊँट तक हर 5 पर एक बकरी। जब 26 ऊँट हो जाएं तब एक ऐसी ऊँटनी देना होगी जिसकी उम्र एक साल से अधिक और दो साल से कम हो। अगर 36 ऊँट हों तो एक ऊँटनी जो 2 और 3 वर्ष के बीच में हो, 46ऊँटों पर एक ऊँटनी जो 4 और 5 वर्ष के बीच में हो। 75 ऊँटों पर दो ऊँटनियाँ जो 2 और 3 वर्ष के बीच में हों। 91 ऊँटों पर 3 और 4 वर्ष के बीच की दो ऊँटनियाँ। 121 या इससे अधिक की संख्या हो तो फिर हर 50 के हिसाब से एक-एक ऊँटनी जो 3 और 4 वर्ष के बीच में हो, या हर 40 के हिसाब से एक एक जो 2 और 3 वर्ष के बीच में हो, जिस हिसाब से गिन्ती पूरी-पूरी बंट जाए उसी हिसाब से देना होगा। अगर दोनों हिसाब ठीक बैठते हों या दोनों हालतों में कुछ शेष रह जाते हों तो चाहे जिस हिसाब से दें। जो बचे रहें उन पर ज़कात नहीं है।

गाय बैल में दो हिसाब हैं। एक 30, इस में एक ऐसी गाय देना होगा जो दो और तीन साल के बीच में हो। अगर इस से ज्यादा हो तो फिर इसी 30 और 40 से हिसाब लगाया जायगा जैसी संख्या हो और अगर 30 और 40 दोनों एक ही दशा में हो वहां जिस हिसाब से जी चाहे दे।

भेड़ बकरी में अगर 40 हो तो एक बकरी और 121 हों तो दो बकरियां, 201 में तीन और 301 में चार। 400 या इस से ज्यादा में प्रतिशत एक बकरी और सौ से कम जो शेष रहे उस पर जक़ात माफ़ है।

गल्लाः-

खाने की चीजों में चार प्रकार की चीज़ों में ज़कात हैं:-

(1) गेहूँ (2) जौ (3) खजूर (4) मुनक़्क़ा

ज़कात इन चीजों में उस समय लागू होती है जब ज़मीन से पैदा होने के बाद इन नामों में पुकारी जाने लगे और उन को गेहूँ, जौ, खजूर और (मुनक़्क़ा को) अंगूर कहने लगें।

ज़कात के किसी वयक्ति पर लागू होने में यह शर्त है कि जिस समय से ज़कात लागू होती है उस समय यह चीजें उस व्यक्ति की मिल्कियत और उसके क़ब्जे में हों, चाहे उसने उन को खुद बोया हो या वह खेती खरीदने या किसी और तरह से उस की मिल्कियत हो गई हों। लेकिन अगर ज़कात के लागू होने से समय के बाद उसके अधिकार में आई हों तो उसके ऊपर ज़कात न होगी।

इन चीजों के लिये कम से कम वज़न जिस पर ज़कात लग सकती है 300 सा (जो आजकल के क़रीब क़रीब साढ़े बीस मन के बराबर है) है। इस से ज्यादा जितना भी हो कुल पर ज़कात देना होगा।

अगर खेती ऐसी हो जो वर्षा से सिंचती हो या नहर और नदी के क़रीब होने के कारण खुद ही नमी खींच लेती हों और सींचना न पड़ता हो या नहर और नदी से नालियों द्वारा पानी उस में पहुँचाया जाता हो लेकिन नहर और नदी से इन नालियों तक पहुँचाने के लिए किसी आले या मशीन की आवश्यकता न हो तो इन सूरतों में दसवां भाग देना होगा। अगर खेती ऐसी हो कि डोल, मश्क या किसी और आले से सींची जाती हो तो उस सूरत में बीसवां हिस्सा देना होगा। और अगर वह खेती दोनों तरह से सिंची जाती हो तो यह देखा जाएगा कि ज़्यादा हिस्सा किस तरीके से सिचाई होती है। जो ज़्यादा होता है उसी का हिसाब लिया जाएगा। और अगर दोनों बराबर हों तो आधी ज़कात दसवें भाग के हिसाब से और आधी बीसवें भाग के हिसाब से देना होगा। और यह दसवां या बीसवां भाग सब खर्चे निकालने के बाद निकाला जाएगा। ज़कात लागू होने के समय से पहले अगर वह खेती नश्ट हो जाए या उस व्यक्ति की मिल्कियत से निकल जाए तो ज़कात का हुक्म उस पर न होगा।

ज़कात के खर्चे की मदें:-

(1) ग़रीब-फ़क़ीर लोग अर्थात ऐसे लोग जिनके पास अपने और परिवार के लिए साल भर के खाने कपड़े का प्रबन्ध नहीं है न रूपया, न ऐसा कोई पेशा जो साल भर ऐसी आमदनी देता रहे जो उन के लिए काफ़ी हो।

इस मद में ऐसे लोग जो मांगने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते मगर इस नियम के अन्दर आते हों ज़्यादा हक़ रखते हैं।

(2) ऐसे क़रज़दार जो क़र्ज़ा अदा न कर सकते हों। इस मद में ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो साल भर के खाने का तो रखते हों मगर इतना न रखते हों कि कर्ज़ा अदा कर सकें। इस में शर्त यह है कि वह क़र्जा किसी नाजायज़ (निशेधित)काम में न लिया गया हो। व्यर्थ रस्में या विवाह की धूम-धाम जो अपनी हैसियत से ज़्यादा हो इसी में आती है। ऐसों को देकर इन कामों को बढ़ावा देना उचित नहीं है।

हाँ अगर इसका यक़ीन हो कि वे शर्मिन्दा और पछताते हैं और अब ऐसा न करेंगे तो उन की सहायता हो सकती है।

(3) ऐसे मुसाफ़िर जो परदेस में ज़रूरतमन्द हों। चाहे वे अपने देश में (वतन या घर में) हैसियत वाले ही हों। इस में भी यह शर्त है कि सफ़र नाजायज़ काम के लिये न हो।

(4) ऐसे लोग जिन्हें देकर धर्म का कुछ काम लिया जा सकता हो।

(5) हर ऐसे काम में जो अल्लाह की प्रसन्नता का कारण बन सके। परोपकार के काम इस मद में आते हैं चाहे वे आम फ़ायदे के काम हो जैसे मस्जिद या मदरसा या खास हो जैसे किसी हाजी या ज़ायर की जो ख़ुद हज या ज़्यारत को न जा सकता हो इस काम में सहायता करना या किसी विद्यार्थी को ख़र्च देना।

(6) ज़कात के कारिन्दे अर्थात ज़कात इकट्ठा करने के लिए जो शरई हुकूमत (धार्मिक शासन) स्थापित हो उसके फ़ण्ड से दिया जायगा।

ज़कात के हक़दारों में सही विश्वास का मुसलमान होने की शर्त है मगर जन्ता के उपकार के काम इस का भी भेद किए बिना ही किए जा सकते हैं। और न० 4 में उल्लिखित लोगों में भी यह शर्त, स्पष्ट है, कि न होगी।

सय्यदों को किसी और की निकाली हुई ज़कात नहीं दी जा सकती है। (सैयदों को केवल सैयदों ही की निकाली हुई ज़कात दी जा सकती है)।

कोई ज़कात देने वाला किसी ऐसे को ज़कात नहीं दे सकता जिसका ख़र्चा उस (ज़कात देने वाले) के ऊपर वाजिब हो (उस के ज़िम्मे है)।

जो लोग ज़कात के हक़दार हों उन को यह बताकर देने की आवश्यकता नहीं है कि यह ज़कात है बल्कि अगर ऐसे आत्माभिमानी लोग हों जो इस नाम से नहीं लेंगे तो किसी दूसरे उचित ढंग से उन के पास उस माल का पहुँचाना काफ़ी होगा। बस यह नीयत और उद्देश्य होना चाहिये कि वह इस प्रकार ज़कात अदा कर रहा है।

ज़कात को इन तमाम क़िस्मों के लोंगों में बॉटना आवश्यक नहीं है बल्कि किसी एक व्यक्ति को इतना दिया जा सकताहै कि साल भर के खाने का सहारा उसे हो जाय। इस से ज़्यादा देना फिर जायज़ (उचित, धर्म के अनुसार, नियम के अन्दर) न होगा।

ज़कात प्रणाली पर एक दृष्टि

इस्लामी शास्त्र में ज़कात, नमाज़ की तरह से एक आवश्यक कार्य है जिस में देने वाले का इरादा, रज़ामन्दी और अल्लाह की प्रसन्नता का उद्देश्य होना आवश्यक है।

जो काम ज़बरदस्ती और हुकूमत के ज़ोर से हो उस से चरित्र का निर्माण और मनोभावों की जागृति नहीं हो सकती और ऐसी प्रणाली जिसका आधार ज़बरदस्ती और सख़्ती हो स्थिर नहीं रह सकती इस लिए कि ज़बरदस्ती और सख़्ती का असर शक्ति के साथ ही तक है। इधर सरकार के पंजे की पकड़ ढीली पड़ी उधर प्रणाली में खराबी पैदा हुई। एक इस्लामी संघ के निर्माण में जितना समझाना बुझाना, शिक्षा और शांत धर्म प्रचार सफल हो सकता है उसका एक अंश भी ज़बरदस्ती, जोर, सख्ती और सज़ा नहीं हो सकती। इसी लिए ज़कात की वसूली के लिये किसी जासूसी संघ या विभाग का स्थापित करना भी ठीक न होगा बल्कि, जैसा अमीरुल्मोमिनीन हज़रत अली ने अपने कर्मचारियों को लिखा है, ज़कात के वसूल करने वालों को चाहिये कि वह ख़ुद मालदारों से जा कर पूछें कि तुम्हारे पास ऐसा माल है या नहीं जिस पर नियमानुसार ज़कात लागू हो। अगर वे इन्कार करें तो जो हिसाब वे बताएं उसी के अनुसार उन से वसूल किया जाए। खेद की बात है कि संसार को इस्लाम के

पैग़मबर के बाद इस सही तरीके का परिचय नहीं हुआ इस लिए हम इसके प्रयोग करने के लाभ का कोई उदाहरण नहीं दे सकते। मगर संसार की आम विचार-धारा अब उस समय के 14 शताब्दियों के बाद इस ओर है कि इंसान के आत्मचिन्तन को उस का विवेचक बनाना, भारी सख्ती से ज्यादा प्रभावशील और सफ़ल हो सकता है। अब ऐसे प्रयोग किएजा रहे हैं और अनेकों जगह सफल हुए हैं कि जेलों में कोई बंदिश न होगी, परिक्षाओं में कोई पहरा न हो और इसी प्रकार जीवन के विभिन्न छेत्रों में खुद इन्सानों के अपने अधिकार से उचित चरित्र को अपनाने का सामान किया जाए। इस समय और उन्नतिशील काल में ऐसे प्रयोग अभी अपनी प्रारंभिक दशा में हैं मगर कुरान आज से 14 शताब्दियाँ पहले ही "धर्म में कोई दबाव नहीं" का नारा बलंद कर के और इस्लाम के पैग़मबर ने अपने चरित्र का उदाहरण उपस्थित कर के और हज़रत अली (उन पर सलाम) ने ज़कात को इस मनोवैज्ञानिक सुधार के यन्त्र और प्रणाली से परिचित किया।

आर्थिक संगठन ज़कात प्रणाली के प्रकाश में

अगर कोई राजनैतिक संगठन इसलामी विधान के अनुसार स्थापित किया जाए तो ज़कात और खुम्स के नियमों में इसका सामान है कि एक समय ऐसा आए कि जब संघ के अन्दर कोई एक व्यक्ति भी अपने खाने कपड़े और रोज़गार की ओर से असन्तोश का अनुभव न करे।

खुमुस के नियमों का वर्णन तो दूसरी पुस्तिका में होगा। ज़कात के जिन नियमों का वर्णन हो चुका उन के अनुसार संघ का कोई व्यक्ति या तो साल भर के खाने की ओर से निचिन्त है या नहीं है। पहली प्रकार के लोगों में कुछ ऐसे होंगे जिन को नियमानुसार ज़कात देना होगा और दूसरी किस्म के लोगों के लिए ज़कात लेना जाएज़ है और उन को ज़कात दी जा सकती है। यह बताया जा चुका है कि हर ऐसे व्यक्ति को इतना दिया जा सकता है कि वह अपने खानें की ओर से निश्चिन्त हो जाए। इस लिए अगर सरकार की ओर से संघ के तमाम व्यक्तियों की मर्दुमशुमारी उन के व्यवसायों के विवरण के साथ की जाए जिससे यह पता चले कि कितने व्यक्ति ऐसे है जो ज़कात पाने के हकदार हैं और इसके बाद ज़कात के जमा करने का प्रबन्ध किया जाए और पूरी जमा रक़म के अनुसार योजना बनाई जाए कि इस वर्श कितनों को कितनी कितनी रक़म देकर निश्चिन्त कर दिया जाएगा। यह उस रकम के अनुसार होगा जो ज़कात विभाग के कर्मचारियों के वेतन आदि दे देने के बाद बच रहेगी। जितनों की गुन्जाइश निकले उतनों को इस ज़कात से ऐसी सूरतें पैदा करा दी जाए जिन से एक साल के खर्चे में जो कमी होती हो वह पूरी हो जाए। इस प्रकार उतने व्यक्ति रानी (निश्चिन्त) हो जाएंगे और उन में कुछ ऐसे होंगे जो दूसरी शर्तो के पूरी होने पर खुद ज़कात देने वाले हो जांएगे। इसी प्रकार दूसरे वर्ष इस फन्ड की सहायता-शक्ति बढ़ जाएगी और दूसरे वर्ष वह पहले वर्ष से अधिक व्यक्तियों को दीनता से निकाल सकेगा। इस प्रकार अवश्य एक समय आएगा जब कोई व्यक्ति भी ज़कात लेने योग्य न रह जाएगा सिवाए अचानक घटनाओं के कारण जैसे यात्री होने के कारण या किसी दुर्घटना के कारण उस का रोज़गार उस से छिन जाए। तब फिर समाज की सामुहिक आवश्यकतओं की फ़ेहरिस्त तैयार की जाये जैसे कितने शिफाखानों की ज़रूरत है कितने पाठशालाओं की या मोहताज-खानों की? हमें विश्वास है कि यदि पैग़मबर साहब के देहान्त के बाद सही इस्लामी तरीक़ा प्रचलित किया जाता तो इस समय मुसलमानों में ग़रीब-फकीर का पता न होता और पाठशालाओं आदि के लिए बार बार चन्दा माँगना न पड़ता। ऐसी तमाम ज़रूरतें इस्लामी प्रथाओं के प्रचलन ही से पूरी हो जातीं। मगर अफसोस है कि पैगमबर साहब के बाद खुद मुसलमानों में इस्लामी शिक्षाओं को छोड़कर सरमायादारी, पूंजी और सम्पत्ति का अनुचित लोभ पैदा हो गया।

अब भी जब सही इस्लामी तरीक़ा और शासन होगा तो उसका आदर्श फल यह होगा कि जिसे इमाम महदी (उन पर सलाम हो) के प्रकट होने के हाल में हदीसों में बताया गया है कि ज़कात देने वालों को तलाश होगी और लेने वाले न मिलेंगे। यह है वह सफ़ल राज संगठन और अनुशासन जो केवल इस्लाम ही स्थापित कर सकता है। □□□

खुमुस

''खुमुस का इस्लाम में महत्त्व''

खुमुस इस्लाम के आदेशों में नमाज, रोजा और हज आदि की भॉंति वह महत्त्व पूर्ण आदेश है जिस की आज्ञा कुरान में यूं दी गयी हैंः-

''जो कुछ तुमको उचित प्रकार से प्राप्त हो उसका पॉंचवा भाग अल्लाह का है और रसूल का और सम्बन्धियों का तथा अनाथों का एवं दरिद्रों (आसह्य मनुश्यों) का और यत्रियों का। यदि तुम अल्लाह पर विश्वास रखते हो''

शाब्दिक अर्थानुसार तो इस कथन में गागर में सागर को भरा है क्यों कि ''जो तुम्हें लाभ प्राप्त हो'' अब वह किसी भी प्रकार और किसी भी रूप में हो परन्तु कुरआन के अर्थ एवं आशय हो उन धार्मिक मार्गप्रदशकों के कथनों पर आधारितहैं जिन्हें अल्लाह ने इसकेलिऐ भेजा था तथा कुरान ने यह कार्य पैग़मबर (हज़रत मुहम्मद) का बताया है तथा दूसरी ओर हज़रत मुहम्मद ने अपने बाद के लिऐ यह घोषणा कर दीः- ''मैं तुम में 2 बहुमूल्य वस्तुएं छोड़े जा रहा हूँ प्रथम अल्लाह की पुस्तक द्वितीय मेरे सम्बन्धी''।

अतः इनकी शिक्षाओं से ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रकार के माल में खुमुस नही है बल्कि वह कुछ विशष प्रकार से प्राप्त हुये माल में होता है।

इन प्रकारों का विस्तुत वर्णन बाद में आऐगा।

खुम्स के भेदः- कुरान के कथन में स्पश्ट रूप से खुमुस के माल के 3 भाग हैंः-

(1) अल्लाह (2) रसूल (3) सम्बन्धी

सभी धर्म-पंडित (मौलाना) इस बात में एक मत हैं कि सम्बन्धियों से आशय रसूल हज़रत मुहम्मद के सम्बन्धियों से है जिन पर ज़कात को हराम किया गया है तथा खुमुस में उनका भाग रखा गया है।

(4) अनाथ (5) असह्य मनुश्य (दरिद्र-अपाहिज़) (6) यात्री

स्पष्ट है कि सब मुसलमान कुरान को तो इस्लाम की नियम पुस्तक तथा उसकी शिक्षात्रों को स्थायी शिक्षा मानते हैं यहां तक कि जो कहते हैं हमारे लिये कुरान पर्याप्त है वह भी कुरान के आदेशों को अपरिवर्तनशील मानते हैं परन्तु हज़रत मुहम्मद के बाद जब लोग हज़रत मुहम्मद के सम्बन्धियों के विपक्ष में हो गये तो यह आश्चर्यजनक है कि इस विशय में कुरान के आदेश में भी परिवर्तन कर लिया गया। प्रथम तो सुन्नी खुमुस के महत्व से अपरिचित हो गये तथा जैसे वे ज़कात को अनिवार्य आदेश समझते हैं वैसे ही वे खुम्स से परिचित नहीं हैं। उनके धार्मिक पंडित जो अपनी पुस्तकों में विवश हो कर खुमुस का वर्णन कर देते हैं तो वह भिन्न भिन्न प्रकार से परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करके उदाहरणार्थ इमामे मालिक का कथन है कि खुमुस का सम्बन्ध राज्य से होता है वह चाहे जिस प्रकार र्खच करे। अबुहनीफ़ा का आदेश है कि खुम्स के 3 भाग होगें। एक अनाथों का होगा और एक असह्य मनुश्यों का और एक अब्नाअससबील का तथा इसमें सय्यदों और ग़ैर सय्यदों में कोई अन्तर नहीं रखा है। ये दोशित कथन बता रहे हैं कि मुसलमानों ने हज़रत मुहम्मद के सम्बन्धियों को छोड़ दिया और इस प्रकार यदि कुरान भी उनकी प्रशंसा करे तो कुरान को भी छोड़ बैठने में लेश-मात्र संकोच न करेंगे।

यह भी भली प्रकार सिद्ध है कि हज़रत मुहम्मद बराबर खुमुस के इलाही आदेश का पालन करते रहे। आप एक भाग अपना रखते थे और एक भाग अपने सम्बन्धियों के हेतु रख़ते थे। ये हज़रत मुहम्मद का कार्य सदैव रहा अर्थात मुहम्मद साहब सदेव ऐसा ही करते रहे परन्तु जब पहले ख़लीफ़ा अबूबकर ख़िलाफ़त-पदाधिकारी हुये तो उन्हों ने हज़रत मुहम्मद तथा उनके सम्बन्धियों का भाग न देकर बनी हाशिम को खुमुस से बंचित कर दिया। इसका वर्णन सुन्नियों की धार्मिक पुस्तकों में भी है।

शिया कुरआन के आदेशानुसार खुमुस निकालना अनिवार्य समझते हैं और उसमें उतने ही भाग स्वीकार करते हैं जितने कुरान ने बताये हैं।

खुमुस के आदेश का महत्वः-

हज़रत मुहम्मद के कथनों में खुमुस का बहुत महत्व है। खुम्स के रोकनेवाले पर लानत की गई है और

उसको हज़रत मुहम्मद के सम्बन्धियों के हक़ को मारने वालों में गिना गया है। यहां तक कि खुमुस अदा किये बिना जिस माल से कोई वस्तु क्रय की जाये तो उस वस्तु को प्रयोग में लाना भी अनुचित बताया गया है।

इस स्थान पर स्वीगय हज़रत ताजुलउलमा की एक ''खुमुस'' पर लिखी पत्रिका से कुछ अंश दिया जाता है। ध्यान करना चाहिऐ उन लोगों (हज़रत मुहम्मद एवं उनके सम्बन्धियों) ने हमारी भलाई के लिऐ कैसे कैसे कश्ट उठाये। अपने अपने देश छोड़े। अपने अपने निकटतम सम्बन्धियों से मुँह मोड़े। नये नये वीरानों को बसाया। अल्लाह के प्रति अपने रक्त में नहाये। फिर शोक की बात है कि हम उनके कहलाऐं और उनके पुत्रों (संतानों)के हेतु जो अल्लाह की ओर से अधिकार रखे गये हैं तथा जो हम पर अनिवार्य हैं समय पर अपने मुँह छिपाऐं और उनका भाग उनको न दें उनसे प्रेम करने उनके शीया कहलाने का दम भरें परन्तु कार्य उनके शत्रुओं जैसे करें जिन्होंने उनके एहसानों को भुला दिया। धन्यवाद की बजाय उनके प्राणों के शत्रु बन गये तथा उनके अधिकारों को छीन लिया तथा उन पर अनेकों अत्याचार किये। संक्षेप में खुमुस का सय्यदों को न देना उनहीं अत्याचारों एवं दुश्टों की पैरवी है।

खुमुस किन वस्तुओं पर अनिवार्य है

खुमुस 7 प्रकार की वस्तुओं पर अनिवार्य है।

(1) उचित प्रकार से अर्जित मालः- अर्थात वह धन (माल) जो धार्मिक युद्ध (जेहाद) में ग़ैर मुसलिमों से प्राप्त हुआ हो। आधुनिक युग में जब धार्मिक युद्ध (जेहाद) अनुचित है तो इसके अन्तर्गत उन धनों की गणना होगी जो राज्य के नियमों एवं सर्व साधारणा से उचित प्रकार ग़ैर मुसलिमों से प्राप्त किये जायेंगे मगर इस्लाम के सिद्धान्तों पर खरे न उतरते हों तो खुमुस देकर वह उचित एवं प्रयोग में ले जाने योग्य हो जायेंगे जैसे बैंक और डाक ख़ाने का ब्याज अथवा इन्शोरेन्स (बीमा) से जो धन अधिक प्राप्त हो आदि। परन्तु ऐसे साधान जो आचरण एवं सभ्यता से गिरे हुये हैं जैसे चोरी, छल कपट आदि से ग़ैर मुस्लिमों से भी धन प्राप्त करना उचित नहीं है तथा मुसलमानों से किसी ऐसे कानूनी तरीक़े से प्राप्त करना अनुचित है जो इस्लाम के नियमों में उचित न माना गया हो अतः इस्लामी देशों के मुस्लिमों की बैंक और डाक्ख़ाने आदि के ब्याज लेने से भी अलग रहना अनिवार्य है।

(2) खनिज पदार्थः- अर्थात ज़मीन के भीतर पैदा होने वाली वस्तुऐं जैसे सोना, चांदी, तॉबा, सीसा, याक़ूत नमक फ़ीरोज़ह आदि बल्कि अन्य वस्तुऐं भी जैसे मिट्टी का तेल, गन्धक या रसोई गैस जो पाकिस्तान में पायी गयी है। ये सब यदि किसी भूमि में हों जो किसी व्यक्ति विशेष की भूमि में नहीं है तो वह वस्तु भी किसी देश की सम्पत्ति न होगी। निःसंदेह जो उसे निकालेवह जितना उसमें से निकाले उसकी सम्पत्ति होगा तथा उस पर खुमुस अनिवार्य होगा यदि सम्भवतः किसी ऐसी भूमि में निकलीं जो किसी विशेष व्यक्ति की सम्पत्ति है तो नियमानुसार वह खनिज पदार्थ भी उसी व्यक्ति की सम्पत्ति होगा और अब वह जितना भी उसमेंसे प्राप्त करे उसका खुमुस अदा किया जायेगा।

(3) भंडार या ख़ज़ानाः- अर्थात वह धन जो किसी ने भूमि के अंदर कभी रख दिया था और उसके सम्बन्ध में यह आदेश न लागू किया जा सके कि वह किसी मुसलिम का रखा हुआ है तो वह ख़ज़ाना पाने वाले के लिये ठीक है इस शर्त के साथ कि वह उसमें से खुमुस निकाल दे यदि वह ख़जाना ऐसे स्थानपर है जहां पर यह अनुमान लगाया जा सके कि वह अवश्य किसी मुस्लिम की सम्पत्ति है तो उसका आदेश वही होगा जो ज़मीन पर पड़ी हुई वस्तु का होता है जिसे कोई उठा ले। उसके लिये घोषणा करवाना तथा उसके मालिक का पता लगाना आवश्यक है और जब पता न लगे तो फिर या तो उसे मालिक की ओर से अमानत के रूप में अपने अधिकार में रखे या उसकी ओर से धार्मिक बातों में व्यय कर दे परन्तु इस विचार से यदि कभी मालिक मिल गया और इन व्ययों पर प्रसन्न एवं राज़ी न हुआ तो वह उसका धन अदाकर देगा।

(4) ग़ोता लगाने से प्राप्त हुई वस्तुऐंः- जैसे मोती, मूँगा आदि तथा अम्बर को नदी के भीतर से निकाला जाये तो वह उसी प्रकार में हैं और यदि नदी के

किनारे से या पानी के ऊपर से प्राप्त किया हो तो वह खनिज पदार्थों की भाँति है। प्रत्येक दशा में खुमुस उसमें अनिवार्य है।

(5) व्यापार तथा अन्य धन्धों में प्राप्त हुए लाभ में सेः- वर्ष भर के ख़र्चों के बाद जो शेष रहे। खर्चों में सभी उचित व्यय सम्मिलत हैं चाहे वे आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय किये गये हों।

(6) वह भूमि जिसे काफ़िर किसी मुसलमान से क्रय करेः- इसमें से यदि इस्लामी राज्य है तो खुमुस वसूल करेगा जिसे एक विशेष प्रकार का कर समझना चाहिये।

(7) हलाल (उचित) माल जो हराम (अनुचित) माल में मिल गया हो तथा इस प्रकार कि परख न हो सके। इस दशा में खुमुस देना अनिवार्य है और यदि ज्ञात हो कि माले हराम (अनुचित धन) खुमुस के धन से अधिक है तो खुमुस अदा करने के बाद जितने आधिक्य का ज्ञान है उसे दान करदे।

इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन के लिये अपने मालमें ग़ैर (अन्य) का माल मिल जाने पर 4 सूरतें (अवस्थाऐं) हैंः-

(1) ये कि माल एवं मालिक माल दोनों ज्ञात हों उस दशा में अनिवार्य है कि उतने अंश को उसके मालिक के पास पहुँचाये।

दूसरी दशा यह है कि मालका परिमार्ग मालूम हो और मालिक ज्ञात न हो। इस परिस्थित में माल को या तो अमानत स्वरूप अपने पास रखे या दान कर दे और इस विचार के साथ कि यदि मालिक को पता चल गया तथा वह इस दान पर राज़ी न हुआ तो वह उसका धन अपने पास से देगा।

तीसरी दशा यह है कि मालिक ज्ञात हो पर किस परिमाण में मिला है ज्ञात न हो। इस दशा में आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार उस मालिक से समझौता करे इस प्रकार कि वह राज़ी हो जाऐ।

चौथी दशा यह है कि परिमाण एवं मालिक दोनों अज्ञात हैं ये वह अवस्था है जिसमें खुमुस निकाल कर शेष धन (सम्पत्ति) को प्रयोग में लाना उचित है।

खुमुस कितना निकाला जाऐ?

ऊपर दिऐ नम्बर 1,5,6, और 7 इन चार किस्मों में कोई हिसाब नहीं है जितना भी धन हो अधिक हो या अल्प उसमें खुम्स अनिवार्य होगा परन्तु नम्बर 1, 3, और 4, इसमें हिसाब हे कि उससे कम यदि हो तो खुमुस की आवश्यकता नहीं। खनिज पर्दार्थों अथवा ख़ज़ाने में यदि सोना हो तो 20 दीनार और यदि चाँदी हो तो 200 दिरहम (1) हिसाब है अगर कोई अन्य वस्तु हो तो उसके मूल्यानुसार 20 दीनार या 200 दिरहम जो पूरे हों उसमें खुमुस अनिवार्य होगा तथा ग़ोता लगाने से प्राप्त वस्तुओं में मूल्यानुसार 1 दीनार के बराबर निकालना उचित है।

खुमुस किनको दिया जाये?

खुमुस के 3 भाग हैंः- (1) अल्लाह (2) रसूल (3) रसूल के सम्बन्धी (इमाम)

ये तीनों भाग अब इमाम के हैं परन्तु इमाम के ग़ायब होने के समय में उन्हें किसी ऐसे कार्य में व्यय करना चाहिये जिसके कारण इमाम अत्यधिक प्रसन्न हों और शेष 3 भाग दरिद्रों, अनाथों एयं यात्रियों के हैं जो सय्यद हो तथा वर्श भर की जीविका का साधन न रखते हों। यात्रियों से आशय परदेसियों से है।

"खुमुस पर एक दृश्टि"

खुमुस का संगठन वास्तव में एक ऐसा सुव्ययस्थित संगठन है जिसके पूर्णरूपेण प्रचलित हो जानेपर किसी बड़े से बड़े धार्मिक कार्य जो सैकड़ों कामों में गणना योग्य हो उसमें कभी किसी चन्दे या विशेष कर की आवश्यकता नहीं पड़ सकती।

खुमुस में अल्लाह व रसूल तथा सम्बन्धियों का जो भाग है जिसे इमाम का भाग कहते हैं। ये वास्तव में उन मनुश्यों के लाभ के लिये नहीं है बल्कि धार्मिक रूप से इमाम वह वास्तविक शक्ति है जो सर्व साधारण के हित की उत्तरदायी है। अतः इमाम का भाग नियत करना एक ऐसे जातीय सम्पति का स्त्रोत है जिससे व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक उद्देश्य सफलता की चरम् सीमा तक पहुँचें।

शेष..... पेज 11 पर

हमलों की ताब न लाकर क़ुरैश के पैर उखड़ गए और सब के सब भाग गए ये देखते ही मुसलमानों ने उनका छोड़ा हुआ माले ग़नीमत लूटना शुरु कर दिया। घाटी की हिफ़ाज़त करने वाले तीर अंदाज़ों ने जब ये हालत देखी तो सिवाए कुछ आदमियों के सब वहाँ से हट आए और ग़नीमत के माल की लूट में शरीक हो गए। हालांकि रसूल[स०] ने उन्हें वहाँ से हटने से मना किया था जिसका नतीजा ये हुआ कि क़ुरैश की भागी हुई फ़ौज उसी घाटी से पलट आई और मुसलमानों पर पीछे से अंजानी हालत में अचानक हमला कर दिया। क़ुरैश की इस फ़ौज की कमाण्डरी ख़ालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबी जहल कर रहे थे, इस हमले में मुस्अब बिन उमैर भी शहीद हो गए। जो उस वक़्त फ़ौज का अलम उठाए हुए थे उनकी शहादत पर ये ग़लत ख़बर फैल गई कि रसूल[स०] शहीद हो गए। ये ख़बर सुनते ही लोगों में सख़्त घबराहट पैदा हो गई और बड़े-बड़े दिलेरों के क़दम उखड़ गए लेकिन इस पर भी हज़रत अली[अ०] और कुछ दूसरे वफ़ादार जमे रहे। दुश्मन भीड़ के साथ रसूल[स०] पर हमला करता था मगर ज़ुलफ़िक़ार की बिजली उसकी सफ़ों को टुकड़े-टुकड़े कर देती थी हज़रत अबूदुजाना सरवरे काएनात पर झुक कर ढाल बन गए थे और जो तीर आते थे वह उनकी पीठ में उतर जाते थे इस ज़बरदस्त ख़ून-ख़राबे के बाद जबकि दोनों फ़ौजें बेहाल हो चुकी थीं, अबूसुफ़यान अपनी फ़ौज के साथ मक्का की तरफ़ वापस चला गया।

इस लड़ाई में क़ुरैश का भी बहुत जानी और माली नुक़सान हुआ था लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा नुक़सान पहुँचा और इसकी वजह सिर्फ़ ये हुई कि रसूल[स०] के हुक्म पर अमल नहीं किया गया और घाटी की हिफ़ाज़त का ख़याल नहीं रखा गया और शायद इस ख़याल से ये ग़लती हुई थी कि तीर चलाने वाली टुकड़ी के सिपाही ये समझ रहे थे कि क़ुरैश की अब पूरी तरह हार हो चुकी है और वह वापस नहीं पलटेंगे। मगर उनकी ये भयानक ग़लती थी जिसके नतीजे में मुसलमान फ़ौज अपने बेहतरीन बहादरों और बड़ी-बड़ी शख़सियतों से महरूम होकर रह गई।

लेकिन बहरहाल ये हार भी मुसलमानों की हिम्मत को तोड़ न सकी, उनके जोश और ज़्यादा बढ़ गए और ये वक़्ती हार उनकी हमेशा की जीत की बुनियाद बन गई वह हिम्मत न हारे और सब्र और जमने के साथ दीन की हिफ़ाज़त और हिमायत करते रहे आख़िर ख़ुदा ने उन्हें इज़्ज़त दी और कुछ ही दिनों में सारा अरब मुल्क इस्लामी झण्डे के नीचे आ गया और हक़ की बड़ाई के सामने काफ़िरों और शिर्क करने वालों का सारा घमण्ड मिट्टी में मिल गया।



शेष...... खुमुस

क्योंकि खुमुस एक धार्मिक कर्त्तव्य के रूप में है। राजनीतिक शक्ति एवं महत्व अन्य जाति के मनुश्यों के पास होने के बाद भी जाति को आत्मा यदि जागृति है तो उनका आथिक संगठन अपने धार्मिक एवं जातीय हितों एवं लाभों को पूर्ण करने के लिए भली प्रकार से अपने पैरों पर ख़ड़ा हो सकता है। जिसका जीता जागता उदाहरण हज़रत मुहम्मद तथा उनके सम्बन्धियों के समय की कथाओं से हो जाऐगा जिनसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार समय की समस्त विमुखताओं के विपरीत शियों की जीवन आवश्यकताओं की पूर्त्ति ये लोग किया करते थे तथा उस राजनीतिक का भेद भी स्पष्ट हो जाऐगा जो क़ुरआन में होते हुये भी खुमुस की विरोधी रही।

आज भी इराक़ या ईरान का वर्णन नहीं जो हम से कोसों दूर है अपने क़रीब अफ़्रीक़ा ,बम्बई, कराची या लाहौर के उन स्थानों के सामूहिक संगठन पर यदि ध्यान दिया जाऐ जो खुमुस निकालने के पाबन्द हैं तो ज्ञात होगा कि यदि जाति के समस्त लोग प्रत्येक शहर एवं ग्राम में इस कर्त्तवय के पालक बन जाऐं तो आज हमारी आर्थिक स्थित किस प्रकार अन्य जातियों के लिऐ प्रशसंनीय बनकर संगठित एवं सुग्यवस्थित हो सकती हैं।

